

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (1)2/2019 - 66424-29

शिमला-09

31 अक्टूबर
15 सितम्बर, 2020

शुद्धि पत्र

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-59535-567 दिनांक 15.09.2020 में उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिश अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के क्रम सं० 9 के कोष्ठ सं० 5 में क्रम सं० 6, 7, व 8 पर दर्ज ग्राम चचोगी, खरोगी तथा डुगलासेरी का लोप किया जाता है तथा ग्राम चचोगी, खरोगी व डुगलासेरी को कोष्ठ संख्या 6 में ग्राम सभा नगर के शेष बचे ग्रामों में क्रम संख्या 13, 14, 15 पर जोड़ा जाता है।

आदेश द्वारा

सचिव(पंचायती राज),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला-09 15 सितम्बर, 2020

पृष्ठांकन संख्या:- 66424-29

प्रतिलिपि:1. उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू हि० प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि० प्र० को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू हि० प्र० को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू हि० प्र० को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित(वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभा के रिकार्ड हेतु)।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।